पत्रांकः— 62(13),
झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

डॉ0 डी0के0 तिवारी,
मुख्य सचिव ।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखंड ।

रांची, दिनांक— 16/03/2020

विषयः— **कोरोना वायरस (COVID-19) से बचाव, रोकथाम एवं उपचार हेतु दिशा—निर्देश के संबंध में ।**

महाषय,

आप सभी अवगत है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया है । वर्तमान समय में झारखंड राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारी कोविड—19 से प्रभावित देशों (यथा— चीन राष्ट्र, दक्षिण कोरिया, इटली, वियतनाम, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, इण्डोनेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, नेपाल आदि) से आये हुए यात्रियों के स्वास्थ्य की सतत् निगरानी करते हुए इन यात्रियों को 14 दिनों तक संबंधित अस्पताल में Quarantine किया जाना है। यदि इस दौरान किसी व्यक्ति में बीमारी के कोई लक्षण नजर आते हैं, तो उनकी लैब जांच कराते हुए उनका उपचार किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि इस बीमारी के संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके । इस महामारी की गंभीरता को देखते हुए Epidemic Disease ACT, 1897 के आलोक में राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना संख्या—61(13) दिनांक 16.03.2020 के द्वारा The Jharkhand State Epidemic Disease (COVID-19) Regulation, 2020 जारी कर दिया गया है । उक्त रेगुलेशन के आलोक में विषय की गंभीरता को देखते हुए निम्नांकित निर्देश जारी किये जाते हैं :—

1. आम जनता के बीच इस बात का व्यापक प्रचार—प्रसार किया जाए कि इस बीमारी से घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस बारे में सतर्क रहने और सावधानी बरतने की जरूरत है । इस बीमारी का फैलाव संक्रमित व्यक्ति के द्वारा खांसने और छींकने पर मुंह एवं नाक से निकलने वाले "ड्रापलेट्स" के माध्यम से होता है । अतः लोगों को छींकने—खांसने के लिए अपनी बांह का प्रयोग करने अथवा रूमाल/ टिशू पेपर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाय, साथ—ही—साथ साबुन एवं पानी से हाथ साफ करते रहने का सुझाव भी दिया जाय, जिससे कि संक्रमण को रोका जा सके ।

2. राज्य स्तर/जिला स्तर/प्रखंड स्तर पर COVID-19 वायरस हेतु एक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाये तथा इसके फोन नम्बर का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये । अगर कोरोना वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति पाये जाते हैं तो इसकी सूचना राज्य सर्विलेंस ईकाई, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम को इसके अतिरिक्त राज्य मुख्यालय के फोन नम्बर 0651–2261000/2261002 फैक्स नं0 2261856 मोबाईल संख्या– 9955837428 एवं ईमेल– idspjharkhand2@gmail.com के माध्यम निश्चित रूप से भेजी जाय ।
3. राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों तथा जिला अस्पतालों में संक्रमित व्यक्तियों के इलाज हेतु आईसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की गयी है । उक्त आईसोलेशन वार्ड में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं निर्गत प्रोटोकॉल के अनुरूप है अथवा नहीं, इसका स्वयं अनुश्रवण किया जाए।
4. राज्य स्तर पर प्रत्येक जिले के चिकित्सक, पैरामेडिकल कर्मी, नर्सिंग कर्मियों को इस बीमारी की रोक–थाम एवं नियंत्रण के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा चुका है । कृपया जिला स्तर पर भी ऐसे प्रशिक्षण दिनांक 20.03.2020 के पूर्व आयोजित करते हुए सभी स्थलों पर प्रशिक्षित कर्मी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
5. लोगों को सार्वजनिक स्थलों एवं भीड़–भाड़ वाली जगहों में जाने से रोकने के लिये सलाह दी जाय तथा बहुत भीड़ वाले आयोजनों को रोकते हुए आयोजन की अनुमति नहीं दी जाय ।
6. इस बात का व्यापक प्रचार किया जाये कि "मास्क" की आवष्यकता केवल संक्रमित व्यक्तियों तथा इनकी चिकित्सा करने वाले चिकित्साकर्मियों को ही है । सामान्य स्वस्थ्य व्यक्तियों को "मास्क" लगाने की आवश्यकता नहीं है।
7. संक्रमित व्यक्तियों के छींकने एवं खांसने से विषाणु सतह पर गिरते हैं और वहां पर काफी समय तक क्रियाशील रहते हैं । इसलिए यह आवश्यक है कि नगर निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाएं सार्वजनिक स्थानों की अच्छी साफ–सफाई करें तथा इसके लिये एक प्रतिशत हाईपोक्लोराइड सोलूशन का अथवा अन्य डिसइन्फेकटेंट का प्रयोग किया जाय ।
8. राज्य के अन्तर्गत खेल–कूद से संबंधित सभी आयोजन/सांस्कृतिक महोत्सव आदि जहां तक संभव हो स्थगित रखे जायें । ऐसे आयोजनों के

लिए सरकारी भवनों/प्राईवेट सभागार/अधिवेशन भवन/धर्मशाला आदि के आरक्षण को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए दिनांक 14.04.2020 तक होने वाले आयोजनों को स्थगित कर दिया जाय।

9. झारखंड राज्य के अन्दर अवस्थित सभी सरकारी शिक्षण संस्थान एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थान/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/कोचिंग संस्थान को तत्काल प्रभाव से दिनांक 14.04.2020 तक बन्द किया जाय । इस संबंध में संबंधित विभागों के द्वारा आवश्यक आदेश जारी किये जायेंगे । इस अवधि में पूर्व से निर्धारित परीक्षाएं एवं परीक्षा के मूल्यांकन कार्य यथावत् जारी रहेंगे। परीक्षा से पहले परीक्षा कक्षों की उचित साफ–सफाई तथा बेंच एवं कुर्सी को उचित तरीके से "डिसइन्फेक्टेड" करने की व्यवस्था शिक्षण संस्थाओं के द्वारा की जाय ।

10. राज्य में अवस्थित सभी भीड़ वाले पर्यटक स्थल/सरकारी पार्क/ जैविक उद्यान/ ईकोपार्क/ वायोडायवर्सिटी पार्क आदि तत्काल प्रभाव से दिनांक 14.04.2020 तक बन्द रखे जाएं।

11. राज्य के अन्दर अवस्थित सभी सिनेमा हॉल/मल्टीपलेक्स/क्लबों के तरनताल (Swimming Pool) /व्यायामशालाएं (Gymnasium)/संग्रहालयों को दिनांक 14.04.2020 तक बंद किया जाय ।

12. राज्य में अवस्थित मॉल एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों द्वारा उक्त स्थानों पर सैनेटाइजर /हाथ धोने की व्यवस्था तथा कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता हेतु पोस्टर/बैनर आदि को लगाने की व्यवस्था कराई जाय ।

13. इस अवधि में सभी प्रकार की सरकारी बैठकें/सेमिनार आदि का आयोजन नहीं किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार विडियोकॉन्फ्रेस/टेलिकॉन्फ्रेंस का उपयोग किया जायेगा ।

14. रेलवे स्टेशनों एवं बस स्टैंण्डों पर हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जाय, जहां विशेषकर बाहर से आने वाले यात्रियों को आवश्यक प्राथमिक जांचोपरान्त इस बीमारी के संबंध में उचित मार्गनिर्देश दिया जायेगा ।

15. "मास्क" एवं "सेनिटाईजर" को आवश्यक वस्तु के रूप में "आवश्यक वस्तु अधिनियम" के अन्तर्गत अधिसूचित किया जा चुका है । उक्त आलोक में सभी जिलों में इसकी उचित मूल्य पर बिक्री एवं उपलब्धता सुनिश्चित की

जाय तथा कालाबाजारी करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाय।

16. इस बीमारी से निपटने के लिए सभी विभागों व संस्थानों का सहयोग लिया जाय, जिसमें केन्द्र सरकार के विभाग, यथा–रेलवे, सेना, केन्द्रीय श्रम विभाग के अस्पताल, निजी क्षेत्र के चिकित्सक, आई0एम0ए0 इत्यादि शामिल हों।

17. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड के द्वारा सभी उपायुक्तों को निर्गत दिशा–निर्देश एवं झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों को निर्गत मार्गनिदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय ।

18. जिला स्तर पर "आउट ब्रेक रेसपांस कमिटी" का गठन किया जाय । राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर Integrated Disease Surveillance Programme (IDSP) कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित कमिटी के निर्देशों का अनुपालन किया जाय ।

19. वर्तमान में इस बीमारी की कोई वैक्सीन अथवा कोई दवा उपलब्ध नहीं है। अतः सावधानी बरत कर इससे बचाव किया जाना ही उपयुक्त होगा। इसके निमित्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा जागरूकता फैलाने हेतु पोस्टरों को छपवा कर विभिन्न सार्वजनिक स्थलों, यथा–चिकित्सालय, बस स्टैण्ड, शिक्षण संस्थानों, पंचायत कार्यालयों, समाहरणालय, प्रखंड/अंचल कार्यालयों/ नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायतों में पोस्टर लगाएं ।

इन निर्देशों के संबंध में कोई अतिरिक्त जानकारी/ संसाधन/ राशि की आवश्यकता होने पर प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से संपर्क स्थापित किया जाय।

कृपया उक्त निर्देशों का दृढ़ता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें। राज्य सरकार द्वारा स्थिति का आकलन करते हुए उपर्युक्त बिन्दुओं/तिथियों में आवश्यकतानुसार परिवर्त्तन किया जायेगा ।

विश्वासभाजन,

16/3/2020

(डा0 डी0के0 तिवारी)
मुख्य सचिव